कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ 14398/1519 दिनांकः– 04.02.14

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, किशनगंज के वर्ष 2012–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 265/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
3/02/14
वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर परिषद, किशनगंज

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0– 265 / 13–14
अवधि– 2012–13

1. प्रस्तावना

नगर परिषद, किशनगंज का वर्ष 2012–13 के लेखाओं का लेखापरीक्षा महालेखकार (लेखापरीक्षा) के स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 13.05.13 से 24.05.13 के अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्रम सं0	नाम	कार्य अवधि
क.	मुख्य पार्षद	
01.	श्रीमती सीविया देवी यादव	01.04.12 से 09.06.12
02.	श्रीमती आंची देवी जैन	09.06.12 से 31.03.13
ख	कार्यपालक पदाधिकारी	
1.	श्री ललन प्रसाद	01.04.12 से 14.01.13
2.	श्री प्रेम कांत सूर्य	14.01.13 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखा परीक्षा के समक्ष लेखाओं एवं रजिस्टरों की सूची परिशिष्ट – 1 में एवं लेखापरीक्षा के समक्ष अप्रस्तुत असंधारित लेखाओ एवं बहियों की सूची परिशिष्ट– 2 में दिए गए है।

4. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार म्यूनिसिपल एक्ट – 2007 की धारा – 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान है तथा बिहार म्यूनिसिपल लेखा नियम 1928 (नियम – 20,64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जॉच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी जिसे प्राधिकृत किया जाय, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जॉच की व्यवस्था उचित नियंत्रण, अभिलेखो के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी।

अभिलेखों की जॅाच के क्रम में यह पाया गया कि इस तरह की जॉच की व्यवस्था नगर परिषद प्राधिकारी के द्वारा नहीं की गई जिसके कारण अभिलेखो के संधारण में अनियमितता पायी गयी, जिसका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिकाओं में की गई है।

अतः, नगर परिषद प्रशासन सें अनुरोध है कि नियम के उपबंधों के अनुरूप जॉच की व्यवस्था की जाय, ताकि किसी भी संभावित अनियमितता से बचा जा सके तथा अभिलेखो का उचित संधारण हो सके।

(299

5. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

किशनगंज नगर परिषद के वर्ष 2012–13 के पूर्व कराये गये अंकेक्षण से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवदेन में लंबित कंडिकाओ से संबंधित अभिलेखो एवं कागजातो को आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओ का निरस्त नही किया जा सका।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओ का अनुपालन नही किये जाने की दशा में लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। अतः लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक जॉच हेतु अगले लेखापरीक्षा में उपस्थापित किया जाए।

6. वार्षिक लेखे

किशनगंज, नगर परिषद, वर्ष 2012–13 के लिए तैयार किये गये मदवार प्राप्तियो एवं व्ययों को दर्शाने वाले वार्षिक लेखे, मासिक, त्रैमासिक वार्षिक प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकड़ों की आवश्यक जॉच हेतु लेखापरीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया था।

अतः नगर परिषद प्रशासन को सलाह दिया जाता कि वर्षवार तथा मदवार आय– व्यय के आंकड़ों को अद्यतन संधारण कर आवश्यक जॉच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

7. कोषागार पासबुक

कोषागार पासबुक का संधारण नहीं किया गया था।

अतः कोषागार पासबुक का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

8. लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

क्रम सं0	कंडिका	विवरण	राशि
01.	13(1)	गृहकर जलकर एवं शौचकर की बकाया राशि	रू 85.59 लाख
02.	13(5)	बकाया दुकान किराया	रू 10.57 लाख
03.	17(1)	विधुत सामग्रियों का क्रय	12.00 लाख
04.	23	संविदा के आधार पर क0अ0 की अनियमित नियुक्ति	

9. स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

नगर परिषद, किशनगंज में स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति निम्न थी–

क्रम सं0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
01.	कनीय अभियंता	2	–	2
02.	प्रधान सहायक लेखापाल	1	–	1
03.	वरीय सहायक	8	5	3
4.	सहायक	,,	,,	,,
5.	सहायक	,,	,,	,,
6	कर दरोगा	01	01	–

7.	तहसीलदार	07	04	03
8.	पेशाकर निरीक्षक	1	—	1
9.	स्वच्छता निरीक्षक	1	—	1
10	जमादार	4	—	4
11	मलबह निरीक्षक	2	—	2
12	अनुसेवक	7	3	4
13	रात्री प्रहरी	1	1	—
14	माली	1	1	—
15	ट्रैक्टर चालक	1	1	—
16	भंडारपाल	1	—	1
17	रोड पियुन	1	—	1
18.	खलासी	1	—	1
19.	कार्ट सरकार	5	3	2
20	जलशोधक	1	—	1
21	पाछक	1	—	1
22	ट्रैंड दाई	1	—	1
23.	रोड सरकार	1	—	1
24	चरवाहा	1	—	1
25	सफाई कर्मी	88	27	61
	कुल	138	46	92

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर परिषद में कर्मचारियों की भारी कमी है। कुल स्वीकृत बल 138 के प्रति कार्यरत बल मात्र 46 था। अर्थात नगर परिषद में कर्मियों की कमी है। कनीय अभियंता, प्रधान सहायक सह लेखापाल, सहायक सह लेखपाल, सहायक, तहसीलदार, जमादर, मलबह निरीक्षक, अनुसेवक भंडारपाल, सफाईकर्मी आदि महत्वपूर्ण पद रिक्त है। रिक्त पदों पर बहाली हेतु सार्थक प्रयास किया जाय।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. स्वीकृत बल से संबंधित नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्र लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।
2. मानदेय पर नियुक्ति कर्मचारियों से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त संचिकाओं/पत्र को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

297

10(1) अधिदृश्य (आय– व्यय)

किशनगंज, नगर परिषद केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के आय से वित पोषित है। पी0एल0 खाता के आय– व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्न है।

क्रम सं0	विवरण	राशि
1	प्रारंभिक शेष (01.04.12)	73503966.49
2.	प्राप्तियॉ	104285872.00
3.	कुल जोड़ (1+2)	177789838.49
4.	व्यय	58516328.00
5.	अन्तशेष (3–4)	119273510.49

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 3 पर)

रोकड़ बही में त्रुटियॉ

1. प्राप्ति शीर्ष में प्राप्तियों से संबंधित विवरण दर्ज नही था।
2. आय – व्यय का वर्गीकरण नही किया गया था।
3. **रोकड़ बही के अंतशेष एवं पासबुक का अंतशेष में अन्तर की राशि का समाधान विवरणी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक तैयार नही किया गया था।**

10(2) अन्य रोकड़ बही के आय – व्यय की स्थिति

किशनगंज, नगर परिषद में वर्ष 2012–13 में संधारित पीएल खाता के रोकड़बही के अलावे अन्य विभिन्न मदों के 15 रोकड़ बहियों का संधारण किया गया था। जिसके आय– व्यय की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – 4 पर संलग्न है।

1. प्रारम्भिक शेष	32642475.79
2. प्राप्ति	67791944.00
3. कुल जोड़	100434419.79
4. व्यय	47415411.00
5. अन्तशेष	53019008.79

अंकेक्षण टिप्पणी

1. रोकड़ बहियों के जॉच के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद किशनगंज द्वारा पी0एल खाता रोकड़ बहियो का संधारण एवं बैंक खातो का संचालन किया जा रहा था।

अधिक रोकड़ बहियों के संधारण एवं बैंक खातो के संचालन से अनियमितता की संभावना बढ जाती है। बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक– 4 न0 सृ0 1–

102/95–1440/न0वि0आ0वि दिनांक 28.04.09 के द्वारा भी पी0एल खाता खोलने एवं बैंक खाता बंद करने का निर्देश दिया गया था।

2. रोकड़ बही का संधारण विहित प्रपत्र में नही किया जा रहा था।

उपरोक्त आपतियों का कोई जबाब नही दिया गया। अतः आपतियों को सुधार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10(3) रोकड़ बही एवं बैक खाता के अंतशेष में अंतर

नगर परिषंद, किशनगंज द्वारा संधारित रोकड़ बहियों के दिनांक 31.03.2013 के अंतशेष तथा बैक खाता के दिनांक 31.03.2013 के अंतशेष में अंतर पाया गया जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न है–

क्रम सं0	मद का नाम	रोकड़बही का अंतशेष	पासबुक का अंतशेष	बैंक का नाम/खाता सं0	अंतर की राशि
01.	पी0एल खाता	119273510.49	अनुपलब्ध	कोषागार पासबुक	अनुपलब्ध
02	पथ एवं नाला निर्माण/जीर्णोद्धार	2162133.00	2162133.00	केनरा बैंक 34810100801	शून्य
03.	कबीर अन्त्येष्टि(अनु0 जाति विशेष घटक)	523083.00	523083.00	ओबीसी/ 069262011002296	शून्य
04.	पि0 क्षेत्र अ0नि0 (भोल–1')	2251120.00	2253186.00	ऑल बैक 22024277597	2066.00
05.	राष्ट्रीय गंदा बस्ती	384473.73	384473.73	एसबीआई 11239907131	शून्य
6.	कबीर अंत्येष्टि	1028832.00	1038832.00	ओबीसी 06926010003060	10,000.00
7.	प्रशासनिक भवन निर्माण/जीर्णोद्धार	4025300.00	4098565.00	सीबीआई 3238054115	73265.00
8.	सेल टैक्स	48180.00	45402.00	युबीआइ 6032020/0001329	17500.00
9.	पि0क्षेत्र अं0 नि0 (भोल – 2)	16643845.00	16661345.00	युबीआइ 6032020/0001329	17500.00
10	उ0बि0क्षे0ग्रा0 बैंक	2144897.00	2359295.00	एकाउन्ट न0 2609	214398
11	स्व0ज0श0शे0यो0	11627084.00	11627084.00	युबीआई/6579	शून्य
12	सीडी – 209	1313565.0	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत
13.	बस टर्मिनल	8261709.00	82617.09.00	ओबीसी/6962010000	शून्य
14.	पि0क्षे0अ0नि0 (अनु0 जन जाति)	247704.00	247704.00	युबीआई 603202010002665	शून्य
15.	पि0क्षे0अ0नि0 (अनु0 जाति)	1234219.00	1234219.00	युबीआई 603202010002666	शून्य
16.	पेंशन लेखापंजी	1122864.00	1122864.00	एसबीआई31092674212	शून्य

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अंतशेष की राशि में अंतर का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अंकेक्षण में नही दिखाया गया।

11. बजट प्राक्कलन

परिषद द्वारा मासिक, त्रैमासिक लेखे का संधारण नही किया गया था। फलस्वरूप बजट प्राक्कलन आय एवं शीर्षवार प्रस्तावित व्यय की तुलना वास्तविक आय– व्यय से नही की जा सकी।

फिर भी, लेखापरीक्षा में तैयार किए गए आय– व्यय के अनुसार बजट प्राक्कलन की स्थिति निम्नवार है।

क्रम सं0	विवरण	बजटप्रावधान	वास्तविक	अन्तर
01.	प्रस्तावित कुल आय	161997600	164080801	2083201
02	प्रस्तावित कुल व्यय	251587375	103012431	148574944

उपर्युक्त विवरणी/सारणी से स्पष्ट होता है कि बजट प्राक्कलन का निर्माण विभागीय निर्देशानुसार निहित सीमा के अनुरूप नहीं था। अतः भविष्य में बजट बनाते/तैयार करते समय विहित नियमों का पालन किया जाय।

12. अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नही किया गया था, जबकि बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली – 1928 के नियम – 14 (सी) के अनुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानें का व्यय प्राप्ति वर्ष से तीन वर्ष के अन्दर कर लिया जाना चाहिए अथवा सरकार से पूर्वानुमति लेकर किसी अन्य मद में व्यय किया जाना चाहिए। रोकड़बही के अनुसार नगर परिषद को वर्ष 2012–13 में कुल राशि रू 120617870.00 को अनुदान प्राप्त किया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 5 पर)

अतः नगर परिषद प्रशासन को सलाह दिया जाता है कि प्राप्त अनुदान को विहित अनुदान पंजी में वर्ष के प्रारंभ में शीर्षवार, अनुपयुक्त अनुदान, वर्ष में प्राप्त अनुदान, व्यय की गई राशि एवं वर्ष के अन्त में शीर्षवार अनुपयुक्त अनुदान की स्थिति अनुदान पंजी को अद्यतन संधारण कराकर आवश्यक जॉच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

13(1) गृहकर, जलकर एवं शौचकर की बकाया राशि रू 8559440.00

नगर परिषद, किशनगंज द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.13 को रू – 5166874.00 गृहकर रू – 1058305.00 जलकर एवं रू 2334261.00 शौचकर (कुल रू 8559440.00) बकाया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 6 पर)

अतः कुल रू 8559440.00 की राशि वसूल कर संबंधित कोष में जमा कराया जाय।

13(2). शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि की कम वसूली

बिहार सरकार के दिशा – निर्देशो के अनुसार नगर निकायों को गृहकर के साथ शिक्षा उपकर (गृहकर का 50 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य उपकर (गृहकर का 50 प्रतिशत) को वसूलना है। एवं वसूली की राशि का 10 प्रतिशत काटकर संबंधित शीर्ष में जमा करना है।

परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध विवरणी के अनुसार नगर परिषद के द्वारा वर्ष 2012–13 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली निर्धारित की गयी जिससे निम्नवत राशियो की कम वसूली हुई

वर्ष	गृहकर की वसूल राशि	शिक्षा उपकर की वसूलनीय राशि	स्वास्थ्य उपकर की वसूलनीय राशि
2012–13	5166874	2583437	2583437
शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वास्तविक वसूल राशि (2012–13)		31228.64	100717.62
कम वसूली		2552208.00	2482719.00

अतः कुल रू 5034927.00 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में कम वसूल किया गया। अतः कुल रू 5034927.00 की राशि वसूल कर संबंधित कोष में जमा करवाया जाए।

13(3) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं

नगर परिषद, किशनगंज द्वारा वर्ष 2012–13 में शिक्षा उपकर के रूप में कुल रू 100717.62 तथा स्वास्थ्य उपकर के रूप में कुल रू 31228.64 वसूल की गयी अर्थात कुल रू 131946.26 की वसूली की गयी तथा उसमें से 10 प्रतिशत राशि रू 132195.00 काटकर शेष राशि रू – 118751.00 राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं किया गया था।

अतः, रू 118751.00 की राशि संबंधित खाते में जमाकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

13(4) सरकारी भवनों पर बकाया गृहकर रू 750750.00

नगर परिषद, किशनगंज द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.13 को सरकारी भवनों पर कुल रू 750750.00 गृहकर बकाया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – 7 पर संलग्न है।)

अतः, कुल रू 750750.00 की राशि वसूलनीय है।

13(5) बकाया दुकान किराया रू 1057647.00

नगर परिषद, किशनगंज द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर परिषद द्वारा आवंटित दुकान के दुकानदारों पर दिनांक 31.03.2013 को कुल राशि रू 1057647 दुकान किराया बाकी है।

२९३

विस्तृत विवरणी निम्न है–

क्रम सं0	दुकान का विवरण	कुल दुकानों की संख्या	31.03.2013 को बकाया राशि
1.	पालिका बाजार डे मार्केट	15	102596
2.	पुराना मांस मछली बाजार	10	34155
3.	अस्पताल रोड	41	314389
4.	आउटफौल ड्रेन अस्पताल रोड	20	147118
5.	उत्कर्ष बाजार	25	15383
6.	अभिनव बाजार	16	4147
7.	सदभावना बाजार गॉधी चौक	12	28658
8.	धरमगंज	18	85497
9.	थाना के बगल में	10	21910
10.	नगर परिषद के बगल में	10	85616
11	वीर कुंवर सिंह बस पडाव	68	99608
12.	सुपर मार्केट डे मार्केट	47	118570
	कुल	292	1057647

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. दुकान किराया के रूप में कुल रू 11057647 वसूल नहीं किये जाने का कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था।

2. ज्ञापांक 81 दिनांक 25.01.2013 के अनुसार नगर परिषद के स्व वित पोषित दुकानों में दुकानधारी द्वारा अन्य व्यक्तियों को उप पथ्य पर दिया गया दुकानों को खाली कराने का निर्णय लिया गया था, तथा उक्त दुकानदारों की सूची तथा एग्रीमेन्ट की कॉपी आवश्यक जॉच के लिए अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था।

उपरोक्त लेखापरीक्षा आपति के आलोक में नगर परिषद किशनगंज द्वारा बताया गया कि वसूली के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। नोटिस जारी किया गया है तथा दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।

अतः रू 1057647 की राशि वसूल कर नगर परिषद के खाते में जमा कराया जाय एवं उपरोक्त संचिकाओं के साथ अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए।

14. संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं रू 5204000/ शुल्क बकाया रहना

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क रू 40000/ प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क 1000/ प्रतिटावर प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरो को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। साथ ही टावर पर लगाए गए प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण फीस तथा नवीकरण फीस अतिरिक्त रूप से देने का प्रावधान है।

नगर परिषद द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर निकाय के क्षेत्रान्तर्गत 40 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे तथा निकाय से अपंजीकृत थे एवं उपर्युक्त नियमावली के अनुसार अधिष्ठापित मोबाईल टावरों पर रू 5204000.00 शुल्क बकाया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 8 पर संलग्न है)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने एवं बकाया शुल्क रू 5204000.00 की वसूली हेतु नगर निकाय द्वारा किए गए कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नही कराया गया।

अतः कुल रू 5204000.00 की राशि वसूलनीय है।

15(1) डे मार्केट मॉस मछली

डे मार्केट मॉस –मछली बाजार के वर्ष 2012–13 की डाक बंदोबस्ती सबसे अधिक डाक (1,16,651) वक्ता श्री जमाल अहमद अंसारी को दिया गया था, जिसमें अंसारी द्वारा एमआर न0– 752 दिनांक 14.03.12 को 58500 रू जमा किया गया था तथा शेष राशि– 58151 30 जून तक जमा करना था। समय पर नहीं जमा करने पर शेष राशि का 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करना था, परन्तु कार्यालय ज्ञापांक सं 968/28.07.12 को जारी पत्र में 3 दिन के अंदर जमा करने हेतु कहा गया, परन्तु बंदोबस्तधारी द्वारा शेष राशि नही जमा किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बंदोबस्तधारी द्वारा शेष राशि दिनांक 03.09.12 एमआरन0–1599/27.02.13 को 8151 रू जमा किया गया था।

अतः, बन्दोबस्ती की शेष राशि 5452(सूद) की वसूली (सूद सहित) की जाय तथा उसे नगर परिषद खाता में जमा की जाय।

15.(2) डे सब्जी मार्केट

डे सब्जी मार्केट मण्डी के वर्ष 2012–13 डाक बंदोबस्ती सबसे अधिक 3,74,500 डाक वक्ता श्री जमाल अहमद अंसारी को दिया गया। दिनांक 31.03.12 को एमआर न0 765 के द्वारा श्री अंसारी ने 100000

(291)

जमा किया था तथा इकरारनामा के अनुसार शेष राशि 30 जून तक जमा करना था अन्यथा उस शेष राशि पर 12.5 प्रतिशत की ब्याज सहित वसूली किया जायेगा तथा दिनांक 26.07.12 को एमआरएनओ –1753 के द्वारा 100000 जमा किया था। कार्यालय द्वारा पत्रांक 1430/20.10.12 को शेष राशि 174500 जमा करने हेतु पत्र जारी किया था, कि यथाशीघ्र शेष राशि जमा करे, परन्तु राशि ससमय जमा नहीं किया गया था जिसके कारण सूद की राशि भी वसूली की जानी थी। परन्तु नगर परिषद द्वारा सूद की राशि की वसूली नहीं की गई थी। अतः ₹8661 सूद की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

15(3) माधव नगर सब्जी मण्डी (173000 की वसूली नही)

माधव नगर सब्जी मण्डी बाजार के वर्ष 2012–13 की डाक बंदोबस्ती सबसे अधिक बोली (364000) वक्ता श्री मैनुद्धीन, पिता मो0 मंसुर आलम साकिन बंदोवस्तीधारी द्वारा एमआरएनओ– 762 दिनांक 29.03.2012 को मात्र रू 91000/– जमा किया गया। एकरारनामा के अनुसार यदि दिनांक 30.06.12 तक शेष राशि जमा नही करते है, तो शेष राशि का 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित जमा करना था, तथा दिनांक 31.07.12 तक शेष राशि जमा नहीं करने पर डाक बन्दोवस्ती रद् कर दी जायेगी, परन्तु बंदोबस्तधारी द्वारा एकरारनामा का पालन नही किया था, तथा दिनांक 18.10.12 को एमआरएनओ–1548 द्वारा 50000 एवं एमआरएनओ–1184 दिनांक 09.04.13 को मात्र 50000 जमा किया था, इस प्रकार कुल – 191000 जमा किया था, शेष राशि – 173000 अभी तक (15.5.13) जमा नही किया था। अतः प्रशासन के सुझाव दिया जाता है कि अतिशीघ्र शेष राशि ब्याज 12.5 प्रतिशत सहित यानि ₹189219.00 (173000+ 6219) संबंधित व्यक्ति से वसूल कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

15(4) रिक्शा ठेला निबंधन (48000 नही वसुलीं)

रिक्शा ठेला निबंधन संचिका वित्तीय वर्ष 12–13 बन्दोबस्ती श्री पुलक वर्धन को ₹64000 में दिया गया था, तथा तत्काल श्री वर्धन द्वारा एमआरएनओ– 767 दिनांक – 31.03.12 को मात्र 16000/ जमा किया गया था। एकरारनामा के कंडिका 4 के अनुसार शेष राशि रू 48000/– 30 जून 2012 के अंदर जमा करना था अन्यथा उनके स्वीकृत डाक को रद् कर दिया जायेगा।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. इकरारनामा कें अनुसार समय पर राशि नहीं जमा करने पर स्वीकृत डाक रद्द क्यों नही किया गया, इसका जवाब अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।
2. शेष राशि 48000 तथा इसका 12.5 प्रतिशत ब्याज (4500) सहित कुल रू ₹52500/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर परिषद कोष में जमा कराया जाय तथा अगले लेखापरीक्षा में दर्शाया जाय।

16. कम जमा/नहीं जमा

एच0 रसीद एवं विविध रसीद (दिनांक 31.03.2013 तक) के जॉच के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न वसूलीकर्ता के द्वारा कम जमा/नही जमा की गई कुल राशि 28578 अंकेक्षण के दौरान जमा कराया

गया तथा शेष 50416.00 राशि वसूलकर्ता द्वारा जमा नहीं किया गया। जो संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसुलनीय है।

(विस्तृत परिशिष्ट– 9 पर)

17(1) बिजली सामग्रियों का क्रय (13वीं वित्त)

भेपर लाईट, विद्युत सामग्रियो के क्रय संचिका से ज्ञात हुआ कि दिनांक 19.07.12 की बोर्ड के बैठक में पारित अन्यान्य प्रस्ताव सं0 04 कें अनुसार किशनगंज, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत कई स्थानों के स्ट्रीट पोलों में लगे हुए भेपर लैम्प, बल्ब, होल्डर आदि खराब होने के कारण मरम्मति आवश्यक है। साथ ही कई स्थनों पर नये भेपर लैम्प सेट/बल्ब भी लगाने हेत श्री संजय सिन्हा, पथ रोशनी पर्यवेक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली सामग्री क्रय किया जाना है।

जिसके आधार पर कार्यालय पत्रांक 1335 दिनांक 28.09.12 से नगर परिषद के अर्न्तगत स्ट्रीट पोलों में जो भेपर बल्ब लैम्प खराब हो गया है उसे बदलने हेतु बिजली सामग्री के क्रय के लिए निविदा प्रकाशन हेतु सूचना निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग निदेशालय, पटना को भेजा गया, लेकिन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित नही किया जा सका।

पुनः निविदा सं0 04/12–13 को निविदा प्रकाशित किया गया, जिसके आधर पर दिनांक– 07.12.12 को 2:30 बजे अपर समाहर्ता, किशनगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित क्रय समिति एवं निविदाधारियों के समक्ष निविदा खोली गई थी जिसमें मात्र– 02 निविदादाताओं के द्वारा दरों के रहने के कारण सहमति से निर्णय किया गया कि डाक रद् कर पुनः डाक की तिथि निर्धारित किया गया (18.12.12)। जिसके आधार पर पुनः निविदा सूचना सं0 05/12–13 के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित निविदादाताओ के द्वारा निविदा डाला गया था।

1. बाबा लाईट, कटिहार
2. तिरूपति ट्रेडिंग, कटिहार

साथ ही दिनांक 16.01.2013 को उपरोक्त दोनों निविदाधारियो की दरों का समझौता हेतु सूचना दिया, जिसके आधार पर एवं तुलनात्मक विवरणी के अनुसार बाबा लाईट, कटिहार को विधुत सामाग्रियो की आपूर्ति स्वीकृति दी गयी तथा एकरारनामा के बाद कार्यादेश निर्गत किया गया था (156/12.02.13) जिसके आधार पर बाबा लाईट, कटिहार के द्वारा बिल न0 57 एवं 58 दिनांक 27.02.2013 को बिजली सामाग्री के आपूर्ति करते हुए भुगतान विपत्र कुल राशि 1936118.00 (1756518+179600) कर सहित जमा किया था।

नगर परिषद के द्वारा अभिश्रव सं0 576/12.03.13 एवं चेक सं0 A791398/12.03.13 द्वारा भुगतान किया गया था। साथ ही भण्डार पंजी के अनुसार अभी तक 15.05.2013 में निम्न प्रकार श्री संजय सिन्हा, बिजली मिस्त्री के द्वारा लगाया गया–

क्र.सं.	विवरणी	सं.
1	सोडियम(250 w)	06
2	सोडियम(400 w)	04
3	भेपर लैम्प(250 w)	03
4	भेपर लैम्प(400 w)	02
5	इग्नेटर	08
6	तार कॉपर (हैलोजन 1.5 एम)	100 एम
7	तार अल्मुनियम	110 एम
8	टेप	01
9	स्वीच बोर्ड	16
10	कंडेन्सर(33 MFD)	03

अंकेक्षण टिप्पणी

भंडार पंजी के द्वारा श्री संजय सिन्हा, बिजली मिस्त्री की अधिष्ठापन हेतु सामग्रियों को आपूर्त्ति किया गया था। लेकिन संचिका के अनुसार श्री सिन्हा द्वारा लगाये गये सामग्रियों से संबंधित स्थानीय लाभार्थी एवं वार्ड पार्षदों के द्वारा कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था।

एकरारनामा के क.सं.–1 में चयनित सामग्रियों की आपूर्त्ति अनुमोदित मॉडल एवं मानक तथा गुणवत्ता के अनुरूप एवं अंकित कम्पनी के समग्र ही आपूर्त्ति करना होगा तथा क.सं. 5 में आपूर्त्ति किये गये सभी सामानों में आपूर्त्ति तिथि से छः माह का वारंटी होना।

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार कय समिति के गठन एवं निविदा संबंधी प्रकिया सामग्रियों के कय में करने का प्रावधान है। परन्तु संचिका अवलोकन में किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं पाया गया।

अगले लेखापरीक्षा में इस बारे में स्थिति स्पष्ट किया जाय।

17(2) विलोपित

18(1) येाजना की स्थिति

नगर परिषद, किशनगंज में वर्ष 2012–13 में विभिन्न मदों के चयनित योजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	मद का नाम	कुल चयनित योजनाओ की सं0	प्रा0 राशि	कार्य की स्थिति	प्रा0 राशि	योजना पर व्यय
1.	वी0आर0जी0एफ0	14	रू 4759900	पूर्ण– 14 अपूर्ण– शून्य कार्यचालु नही– शून्य	रू 4759900	रू 4024018
2.	आंतरिक संसाधन	15	5855774	पूर्ण – 12	रू 4553566	रू4008283
				अपूर्ण – 03	रू 1302208	1052744
				कार्य चालु नही –शून्य		

3. 13वी वित्त आयोग – योजना विवरणी अप्राप्त

4. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग– योजना विवरणी अप्राप्त

5. नाला पथ जिर्णोद्धार/निर्माण – योजना विवरणी अप्राप्त

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. स्वयं के आय से चयनित योजनाओं से कुल 15 योजनओ में से 3 योजनाएँ अपूर्ण पाई गयी थी जिसपर कुल रू 1052744/ का व्यय किया गया तथा एक से दूसरे वर्ष में जाने के बाद भी पूर्ण नही किया गया। इसे पूर्ण करने हेतु उचित कदम उठाया जाय।

2. उक्त योजनाओं सें संबंधित योजना पंजी, योजना अभिलेखे आंशिक रूप में प्रस्तुत किया गया था तथा शेष अभिलेखो को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

3. 13वी वित आयोग– चतुर्थ राज्य वित आयोग एवं नाला पथ जिर्णोद्धार/निर्माण योजना विवरणी/योजना पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था। इसे अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

18(2) विलोपित

18(3) योजना के कार्यान्वयन में अनियमित भुगतान

योजना सं0 /वर्ष – 12/12–13 (बीआरजीएफ)

योजना का नामः– वार्ड न0 16 में पूर्व विधायक रफीक आलम साहब के घर के सामने से ढेहुरी रोड तक ईट सोलिंग सह पी0सी0सी0 ढलाई कार्य

(28)

प्रा0 राशि –455000/	15 प्रतिशत बीलो रू 386750.00
बीओक्यू– रू 455000/	टी/एस – ई ई /10.03.12 A/S 23-03-12
संवेदक का नाम – श्री कुंदन सिंह	एकरारनामा की तिथि – 13.04.12
मापी की राशि – 300300.00	कार्यादेश की तिथि – 534/13.04.12 कार्य समाप्ति – 2 माह
अभिकर्ता को भुगतान	
1. 007627/16.08.12	256714
2. 005860/09.02.2013	15015
	कुल 271729.00
कटौती आयकर– 6787 वैट– 15087 रॉयल्टी– 3766 श्रमसेस– 3003	28643
	कुल –300372.00

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बीओक्यु के अनुसार मिट्टी कार्य मात्र 67.97 m^3 किया जाना था जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार कुल 123.41 m^3 यानी कुल – 55.44 m^3 अधिक कार्य दिखाया गया था। जिसके आधार पर कुल राशि रू 6730(55.44 x 121.40) संबंधित संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था जो वसूलनीय है।

2. विलोपित

3. विलोपित

4. विलोपत

18(4) श्रम सेस की कटौती नहीं

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 38 दिनांक 19.06.2008 के अनुसार वर्ष 2007–08 से वैसे रिहायशी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाए जाते है और जिनका लागत मूल्य रू 10.00 लाख से अधिक है (भूमि मूल्य को छोड़कर) उनसे 1 प्रतिशत लागत की राशि की वसूली नक्शा पारित करते समय ही वसूल की जानी चाहिए।

पुनः निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत सुद अर्थात कुल सेस राशि के बराबर (1 प्रतिशत+ 1 प्रतिशत) की दर से उनसे वसूल की जाएगी।

परन्तु नगर परिषद द्वारा इस प्रकार की कोई कटौती नहीं की गयी थी। श्रमसेस की कटौती हेतु ठोस एवं प्रभावी कदम उठाया जाय।

18(5) क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं

लोक निमार्ण विभाग के फार्म एफ– 2 के क्लॉज –2 के अनुसार संवेदक अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो प्राक्कलित राशि का ½% प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ती शुल्क की कटौती की जाएगी जो प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगा। योजनाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि संवेदक द्वारा न तो समयवृद्धि का आवेदन दिया गया था न ही क्षतिपूर्ती शुल्क की कटौती की गयी थी। विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	यो0सं0	संवेदक का नाम	प्रा0 राशि	कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथी	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	विलंब दिवस	क्षतिपूर्ती शुल्क
01	04/12–13 (बीआरजीएफ)	मो0 नसीम	380000.00	13.04.12	13.06.12	18.08.12	65	38000.00
02	11/12–13 (बीआरजीएफ)	मो0 नसीम	410000.00	13.04.12	13.06.12	20.09.12	97	41000.00
							कुल	79000.00

अतः क्षतिपूर्ती शुल्क के रूप में रू 79000.00 की कटौती नहीं किया गया। आपति के जबाब में कहा गया कि जानकारी के अभाव में क्षतिपूर्ती शुल्क की कटौती नहीं की जा रही है। अतः रू 79000.00 संबंधित संवेदक से वसूलनीय है।

19. लॉग बुक कार्यालय गाड़ी संख्या बीआर –37–6477 पर व्यय रू 58549/–

नगर परिषद, किशनगंज के कार्यालय वाहन बीआर –37–6477 के लॉगबुक के नमूना जॉच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि (वर्ष 2012–13) में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा गाड़ी पर व्यय रू 58549/ किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 12 पर)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. प्रतिदिन लगभग 30 से 40 किलोमीटर कार्यालय गाड़ी द्वारा स्थानीय भ्रमण दिखाया गया था एवं किशनगंज, नगर परिषद की परिधि प्रस्तुत नही की गई थी। तथा भ्रमण के प्रयोजन का कार्यालय आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कार्यपालक पदाधिकारी का मासिक दौरा प्रतिवदेन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। तबतक रू 58549/– लेखापरीक्षा आपति के अंतर्गत रखी जाती है।

20. भविष्य निधि की कटौती

नगर परिषद, किशनगंज के द्वारा भविष्य निधि कटौती से संबंधित संचिका एवं पंजी आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया परन्तु नगर परिषद द्वारा एक विवरणी उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार वर्ष 2012–13 में कुल रू 869221.00 की कटौती भविष्य निधि मद में किया गया था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट – 13 पर)

रू 869221.00 की राशि संबंधित कर्मचारियो के खाते में जमा नहीं किया गया तथा इसका कोई साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया था।

अतः रू 869221.00 की राशि संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के खाते में जमा कराया जाए।

21. अग्रिम रू 133100/–

नगर परिषद, किशनगंज के विभिन्न रोकड़ बही के नमुना जॉच के दौरान पाया कि नगर परिषद के कर्मचारियो एवं पदाधिकरीयों पर रू 1,33,100/– अग्रिम के रूप में बकाया था। जिसका विवरण निम्न है–

क्रम सं0	रोकड़ बही का नाम	चेकसं0 /दिनांक	राशि	विवरण
01	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एकाउन्ट न0 –2609	556634/ 16.11.12	10,000	श्री संजीव कुमार साह को गाड़ी मरम्मत करने हेतु अग्रिम
02.	तथैव	562629 / 27.02.13	25,000	श्री संजीव कुमार साह को सैनिटेशन कार्य हेतु अग्रिम
3.	तथैव	947082/ 05.03.13	98,100	श्री भानु प्रसाद साह को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
			कुल – रू 1,33,100	

रू 1,33,100 असमायोजित पाई गई

अतः उक्त राशि को समायोजित/वसूली कर अगले लेखापरीक्षा में दिखलाया जाए।

22. कबीर अंत्येष्टि योजना

किशनगंज, नगर परिषद के कबीर अंत्येष्टि योजना के रोकड़बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त योजना हेतु दो रोकड़ बही कबीर अंत्येष्टि योजना (सामान्य) तथा कबीर अंत्येष्टि योजना(अनु0जाति) संधारित की गयी। कुल रू 1025000.00 संबंधित वार्ड कमिश्नर/कर्मचारियों के खाते में लाभुकों को वितरण हेतु स्थानान्तरित किया।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 14 पर संलग्न है)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. संबंधित वार्ड कमिश्नर/कर्मचारियों के खाते का पासबुक, चेक बुक तथा वितरण पंजी जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

2. लाभुको का आवेदन पत्र तथा उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रमाण आवश्यक जॉच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

अतः अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किये जाने तक कुल रू 1025000.00 की राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

23. संविदा के आधार पर कनीय अभियंता की अनियमित नियुक्ति

दिनांक 27.12.12 के अपराहन 2.00 बजे किशनगंज, नगर परिषद के पार्षदों की एक साधारण बैठक के प्रस्ताव सं0 4 में प्रस्ताव पारित किया गया कि दैनिक एवं विकास कार्य काफी बाधित हो गया है। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर परिषद, किशनगंज के विकास एवं दैनन्दिन कार्य के लिए तत्काल एक कनीय अभियन्ता को सेवानिवृत अभियंता संवर्ग से संविदा पर नियुक्ति की जाय। जिसके आधार पर दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक– 06.02.2013 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था तथा कुल – 4 उम्मीदवार

1. श्री गौतम सिंह

2. श्री वीरेन्द्र कुमार

3. श्री शेखर विश्वास

4. मो0 अबुबकर अन्सारी के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। प्राप्त आवेदनों के अवलोकन के बाद श्री शेखर विश्वास के साथ दिनांक– 01.03.2013 को एकरारनामा करते हुए मासिक मानदेय रू 14000.00 पर नियुक्ति की गई।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. श्री शेखर विश्वास, क0अ0 को किशनगंज, नगर परिषद में नियुक्ति के बाद स्वीकृति/अनुमोदन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से नही कराया गया था।

इस संबंध में सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। पुनः कार्यालय द्वारा योगदान हेतु निर्गत पत्र में तिथि(निर्गत तिथि) में overwriting पाई गई जिसे अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

2. श्री निजामुद्दीन, क0अ0 को नियुक्ति

सशक्त स्थाई समिति के दिनांक 05.08.10 के प्रस्ताव सं0– 08 में निर्णय लिया गया कि नगर परिषद में पदस्थापित दोनों क0अ0 सेवानिवृत हो गये हैं। जिसके कारण परिषद का योजना कार्य एवं अन्य आवश्यक कार्य सम्पादित नहीं हो पाता है अतएव श्री निजामुद्दीन से0नि0क0अ0 के आवेदन पर विचार

(283)

किया गया तथा मासिक रू 9900 मानदेय भुगतान पर दिनांक 06.08.10 के प्रभाव से नगर परिषद के सेवा में रखा जाता है जिसके आधार पर कार्यालय के पत्रांक –1208 दिनांक 08.12.10 पर योगदान हेतु आदेश निर्गत किया गया था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि योगदान करने की तिथि से अगले छः माह तक के लिए नियुक्ति हेतु पत्र निर्गत किया गया था जिसके आलोक में मो0 निजामुद्धिन दिनांक 08.12.10 को कार्यालय में योगदान किये थे।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. मो निजमुद्धीन की नियुक्ति हेतु दैनिक समाचार पत्रो में विज्ञापन का प्रकाशन नही किया गया था फिर मो0 निजामुद्धीन के द्वारा दिनांक – 17.05.10 को नियुक्ति करने हेतु आवेदन किस आधार पर किया गया था।

2. कार्यालय आदेश एवं टिप्पणी के अनुसार अस्थाई रूप से मात्र 6 माह के लिए नियुक्ति किया गया था तो फिर जून 11 से अप्रैल 13 तक यानि कुल 23 माह के कुल राशि रू 227700.00(9900×23माह) बिना अवधि विस्तार किये ही कार्य कराकर मानदेय का भुगतान किया गया था।

अतः अवधि विस्तार का आदेश अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तबतक भुगतान की गई राशि रू 227700.00 आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

24. कार्यपालक से वार्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान उठाये गये आपतियों पर समय– समय पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता की गई।

25. लेखापरीक्षा का परिणाम

लेखापरीक्षा का परिणाम निम्नलिखित है–

1. लेखापरीक्षा के दौरान वसूल की गई राशि	28758.00
2. लेखापरीक्षा में वसूली हेतु सुझाई गई राशि	5426905.00
3 लेखापरीक्षा आपति के अंतर्गत रखी गयी राशि	1311249.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– 15 पर)

(282)

26. सामान्य अभियुक्ति

नगर परिषद द्वारा लेखाओ का संधारण संतोषप्रद नही था। अनेक मुख्य अभिलेखो जैसे मॉग एवं वसूली पंजी, अग्रिम पंजी ऋण विनियोग पंजी से संबंधित पंजी का संधारण नही किया गया था। करों की वसूली की स्थिति काफी दयनीय थी। अतएव लेखाओं को उचित ढंग से संधारित किए जाये एवं करों की वसूली में वांछित सुधार किया जाय।

हस्ता0

संतोष कुमार सिन्हा– 2

(स0ले0प0अधि0)
अनुमोदित
उपमहालेखाकार (एस0एस0–I)
सह
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार